न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65/15 वाद

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोधोगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर जरिये रजिस्ट्रार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर।

वादी

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री कमलेश चौहान अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री पुष्करलाल लौहार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम शहर तहसील गिर्वा में खाता संख्या 565 आराजी संख्या 1759, 1761 किता 2 रकबा 1.8100 हेक्टयर भूमि स्थित होकर वर्णित आराजीयात भूमि व इसके अनुलग्न अन्य आराजी संख्या 565 से 568, 570 से 572, 578, 582 से 588, 1720, 1731, 1732 1752, 1753, 1756, 1758, 1760, 1763 से 1766, 1768, 1769, 1771, 1772 आदि भूमि पर वादी विश्वविद्यालय काबिज होकर विश्वविद्यालय के परिसर, भवन आदि बने हुये है। तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि के चारों और पक्की उॅची बाउण्ड्री बनी होकर अर्से कदीम से वादी विश्वविद्यालय ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी संख्या 1759 व 1761 की भूमि भी वादी के परिसर के अन्दर ही स्थित होकर उक्त भूमि पर भी अर्से कदीम से वादी ही काबिज होकर खुले व निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है जिसे वादी के कब्जे में किसी अन्य कोई दखल व हस्तक्षेप नही है। आराजी संख्या 1759 व 1761 की भूमि भी अन्य आराजीयात के साथ राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर अंकित की जानी चाहिये थी, लेकिन भूलवश उक्त दोनों आराजी भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नही की गई व उक्त भूमि बिलानाम ही राजस्व रेकार्ड में अंकित रही। जिला कलक्टर महोदय उदयपुर ने उदयपुर शहर व उसके आस–पास की अन्य सभी बिलानाम भूमि को आबादी विस्तार हेतु नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को अपने आदेश दिनांक प. 12/3(89)/राजस्व/86/841–47 दिनांक 15.04.1989 से हस्तान्तरित किया गया जिस आदेश में वादी विश्वविद्यालय के कब्जेशुदा आराजी संख्या 1759, 1761 को भी सहम्मलित कर लिया गया और उक्त आदेश के तहत उक्त दोनों आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जिसके नाम गलत रूप से उक्त आराजी अंकित कर दी गई है उसका उक्त दोनों आराजी भूमि पर कभी कब्जा नही रहा कब्जा शुरू से ही

वादी विश्वविद्यालय का रहा है ऐसी स्थिति में उक्त दोनों आराजी संख्या 1759, 1761 का वादी विश्वविद्यालय को खातेदार घोषित किये जाने व उसके नाम पर उक्त भूमि दर्ज किये जाने हेतु उक्त वाद वादी की ओर से प्रस्तुत किया है। वाद कारण दिनांक 10.04.2015 को उत्पन्न हुआ जब आवश्यक कार्यवही हेतु जमाबंदी की नकल निकलवाई गई तो उक्त दानों आराजी भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही आप न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया।

अतः वादी का स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री साबित फरमाई जावें किः– वादी को राजस्व ग्राम शहर तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 1759 रकबा 1.3000 हेक्टयर एवं आराजी संख्या 1761 रकबा 0.5100 हेक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि वादी के नाम पर अमल दरामद कराई जावें।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनारंक 15.02.2018 को प्रार्थना पत्र शिघ्र सुनवाई के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1759 रकबा 1.3000 हे. आराजी संख्या 1761 रकबा 0.5100 हे. कुल किता 2 रकबा 1.8100 हेक्टयर भूमि वादी विश्वविद्यालय का कब्जा होकर उक्त भूमि वादी विश्वविद्यालय में स्थित है उक्त दोनों आराजी भूमि बिलानाम से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम पर दर्ज हुई है वर्ष 1955 में वादी विश्वविद्यालय को इस भूमि के आस–पास के अन्य आराजीयात आवंटित हुये वह वादी के खाते हो गये परन्तु यह भूमि वादी के नाम दर्ज होने से रह गई थी, जबकि उक्त भूमि भी अन्य आराजीयात के साथ वादी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होकर वादी के काम आ रही है इस भूमि को यदि विश्वविद्यालय के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है तो इसमें नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को कोई आपत्ति नही होगी इसलिये इस आशय का राजीनामा दोनों पक्षों के मध्य हुआ है। उक्त संलग्न राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री पारित फरमाई जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलग्ध राजस्व अभिलेखों एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 को ध्यान पूर्व देखा गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उभपक्षकारों द्वारा आपसी सहमति राजीनामा अनुसार प्रकरण को निस्तारण डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त किये जाने से वादी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी विश्वविद्यालय को मौजा शहर पटवार मण्डल शहर तहसील गिर्वा की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 565 आराजी संख्या 1759, 1761 किता 2 रकबा 1.8100 हेक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि तद्अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(कमर चौधरी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा – उदयपुर